

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 22-08-2025

### विषय सूची

- » भारत में अंगदान में लैंगिक असमानता
- » भारत और EAEU द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए ToR पर हस्ताक्षर
- » संसदीय पैनल द्वारा विमानन सुरक्षा में खामियों पर चिंता
- » भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली और रोजगारपरकता
- » CCPA द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के लिए रैपिडो पर जुर्माना

### संक्षिप्त समाचार

- » पिपराहवा अवशेष
- » मशीन-पठनीय मतदाता सूची
- » वैश्विक क्षमता केंद्र
- » कोयला गैसीकरण
- » नासा द्वारा S/2025 नाम का U1 यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा
- » 'सतत ऊर्जा 1404' अभ्यास
- » एनटीसीए द्वारा बाघ गलियारों की न्यूनतम आवश्यकता को सीमित किया
- » डल झील में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव

## भारत में अंगदान में लैंगिक असमानता

### संदर्भ

- राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने एक 10-बिंदु परामर्श जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रही महिला मरीजों और मृतक दाताओं के रिश्तेदारों को लाभार्थियों के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।

### अंग दान की स्थिति

- अंग प्रत्यारोपण/दान एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से एक या एक से अधिक अंग, ऊतक या कोशिकाओं के समूह को निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर 1,30,000 से अधिक ठोस अंग प्रत्यारोपण किए जाते हैं, लेकिन यह संख्या विश्वव्यापी आवश्यकता का केवल लगभग 10% ही पूरा करती है।
- ‘भारत का अंग प्रत्यारोपण विरोधाभास’: महिलाएं सबसे अधिक दान करती हैं लेकिन सबसे कम प्राप्त करती हैं’ शीर्षक वाले एक लेख के अनुसार, NOTTO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2023 के बीच सभी जीवित अंग दाताओं में से 63.8% महिलाएं थीं।
  - फिर भी, पुरुषों को सबसे अधिक दान किए गए अंग प्राप्त हुए, जो कुल प्राप्तकर्ताओं का 69.8% थे।

### अंग दान में लैंगिक असमानता क्यों?

- पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड: कई परिवारों में महिलाओं को देखभालकर्ता के रूप में सामाजिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और उनसे दूसरों के कल्याण के लिए ‘बलिदान’ की अपेक्षा की जाती है।
- आर्थिक कारण: पुरुषों को सामान्यतः मुख्य कमाने वाले के रूप में देखा जाता है। परिवार उनकी आय क्षमता को जोखिम में डालने से हिचकिचाते हैं।
- महिलाओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा: पुरुष मरीजों को प्रत्यारोपण प्राप्त करने के लिए अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जबकि महिला मरीज प्राप्तकर्ताओं के रूप में कम प्रतिनिधित्व करती हैं।

### NOTTO परामर्श के मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय रजिस्ट्री को सुदृढ़ करना:** अंग/ऊतक प्रत्यारोपण या पुनः प्राप्ति में शामिल सभी अस्पतालों और केंद्रों को NOTTO द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री को डेटा प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- जरूरतमंद दाता परिवारों को प्राथमिकता:** मृतक दाताओं के निकट संबंधियों को, जो स्वयं अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंग आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- लैंगिक असमानता को संबोधित करना:** अंग आवंटन मानदंडों में प्रतीक्षा सूची में शामिल महिलाओं को अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे ताकि प्राप्तकर्ताओं में लैंगिक असंतुलन को दूर किया जा सके।
- प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए स्थायी पद:** राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी अंग प्रत्यारोपण या पुनः प्राप्ति करने वाले अस्पतालों में प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए स्थायी पद सृजित करें।
  - समन्वयक दाता परिवारों को परामर्श देने, दस्तावेजीकरण प्रबंधन करने और प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- कार्य:** NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंग और ऊतक की प्राप्ति एवं वितरण तथा अंग और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के समन्वय और नेटवर्किंग की अखिल भारतीय गतिविधियों के लिए शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

### भारत में अंग दान से संबंधित कानून

- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994:** इसका उद्देश्य चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को निकालने, संग्रहित करने और प्रत्यारोपित करने को विनियमित करना तथा मानव अंगों के व्यापार को रोकना है।

- ▲ यह जीवन दान की अनुमति देता है, अधिकांश मामलों में, करीबी रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, बच्चे, जीवनसाथी, दादा-दादी, नाती-पोते से।
- ▲ दूर के रिश्तेदारों, ससुराल वालों या लंबे समय से दोस्तों से परोपकारी दान अतिरिक्त जांच के बाद अनुमत होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है।
- ▲ असंबंधित व्यक्तियों से दान के लिए, उनके दीर्घकालिक संबंध या मित्रता को दर्शाने वाले दस्तावेज और फोटोग्राफिक प्रमाण अन्य सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होते हैं।
- **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (THOT) नियम, 2014:** ये नियम भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत विशिष्ट दिशानिर्देश और सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं ताकि अंग व्यापार और तस्करी को रोका जा सके, मृतक दान को बढ़ावा दिया जा सके तथा नैतिक अंग प्रत्यारोपण को सुगम बनाया जा सके।

### अंग दान से संबंधित तथ्य

- प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि अंग दान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- भारतीय अंग दान दिवस पहले प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2023 से यह दिन 3 अगस्त को मनाया जा रहा है ताकि भारत में 3 अगस्त 1994 को हुए पहले सफल मृतक हृदय प्रत्यारोपण की स्मृति को चिह्नित किया जा सके।
- NOTTO ने जुलाई को अंग दान का महीना घोषित किया है।

Source: [TH](#)


**भारत और EAEU द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए ToR पर हस्ताक्षर**

### समाचार में

- भारत और यूरोशियन आर्थिक संघ (EAEU) ने मास्को में एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किए।

### यूरोशियन आर्थिक संघ (EAEU)

- यूरोशियन आर्थिक संघ (EAEU) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए स्थापित किया गया है और इसकी अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहचान है।
- इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और सदस्य देशों की स्थिर आर्थिक विकास में सहायता करना है।
- यह वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और श्रम की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करता है तथा अपने सदस्यों के बीच समन्वित नीतियों को अपनाता है।
- **सदस्य देश:** इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य और रूस शामिल हैं।
  - ▲ संघ की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो EAEU के उद्देश्यों और सिद्धांतों को साझा करता है, और सदस्य देशों द्वारा सहमत शर्तों पर शामिल हो सकता है।
- **लाभ**
  - प्रस्तावित FTA से भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होने की उम्मीद है, यह नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को समर्थन देगा, गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा।



## चुनौतियाँ

- भारत-रूस व्यापार में 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से अब रूस भारत के तेल आयात का 35–40% हिस्सा बनाता है, जो पहले 2% से भी कम था।
- हालांकि, भारत के रूस को निर्यात में केवल मामूली वृद्धि हुई है, जिससे \$60 बिलियन से अधिक का व्यापार घाटा उत्पन्न हो गया है।
- इस समस्या को हल करने के लिए भारत फिर से रुपये-रूबल व्यापार तंत्र पर विचार कर रहा है, जबकि पहले के प्रयास विफल रहे थे।
- दूसरी ओर, रूस-चीन व्यापार सफलतापूर्वक घरेलू मुद्राओं में स्थानांतरित हो चुका है।
- इस बीच, भारत को अमेरिका से भारी शुल्कों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निर्यातकों को वस्त्र और दवा जैसे क्षेत्रों में रूस जैसे वैकल्पिक बाजारों की खोज करनी पड़ रही है।
- वर्तमान में भारत रूस को मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयाँ निर्यात करता है।
  - रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका द्वारा शुल्कों में संभावित वृद्धि—जो 50% तक पहुँच सकती है—भारतीय निर्यात पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

Source : [PIB](#)

## संसदीय पैनल द्वारा विमानन सुरक्षा में खामियों पर चिंता

### संदर्भ

- एक संसदीय स्थायी समिति ने विमानन सुरक्षा नियामक, नागरिक उड़ान महानिदेशालय (DGCA) को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता देने की सिफारिश की है।

### पहचानी गई प्रमुख चिंताएँ

- DGCA में स्वायत्ता की कमी:** मंत्रालय पर वर्तमान निर्भरता स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती है; स्वायत्ता के बिना, DGCA एक तीव्रता से वृद्धि होते बाजार में एक कमजोर अनुपालन निगरानी निकाय बन सकता है।
- DGCA में गंभीर स्टाफ की कमी:** DGCA में स्वीकृत कुल 1,063 पदों में से केवल 553 पद भरे गए हैं। यह आवश्यक जनशक्ति का लगभग 50% की “चौंकाने वाली कमी” दर्शाता है।
- भर्ती में बाधाएँ:** यह क्षेत्र उद्योग-समान वेतन या प्रत्यक्ष भर्ती की पेशकश करने में असमर्थ है।
- एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATCOs) संकट:** समिति ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी और उनमें थकावट की समस्या को भी उजागर किया।
  - साथ ही, भारत में नागरिक हवाई यातायात नियंत्रण का कार्य संभालने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की आलोचना की गई कि वह ATCOs के लिए निर्धारित ड्यूटी समय सीमा का पालन नहीं कर रहा है।
- संचालनात्मक और अवसंचनात्मक अंतराल:** विमान शामिल करने की गति हवाई अड्डों के विस्तार से अधिक है, जिससे सुविधाओं और सुरक्षा सीमाओं पर दबाव पड़ रहा है।
  - रनवे में बार-बार घुसपैठ, पक्षियों से टकराव और इंजन विफलताओं की घटनाएं हो रही हैं, जिनके लिए प्रभावी समाधान नहीं अपनाए गए हैं।

- आर्थिक और रणनीतिक कमजोरियाँ: विदेशी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सुविधाओं पर 85% निर्भरता रणनीतिक कमजोरी उत्पन्न कर रही है।
  - पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सुरक्षा में चूक हो रही है, जिसका कारण एक समान नियामक ढांचे और विशेष पायलट प्रशिक्षण की कमी है।
  - भर्ती और प्रशिक्षण क्षमता के बीच वर्तमान असंतुलन, संचालनात्मक भार के साथ मिलकर, वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक प्रत्यक्ष एवं सतत खतरा उत्पन्न करता है।

### प्रमुख सिफारिशें

- DGCA सुधार:** पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाए; प्रत्यक्ष भर्ती और प्रतिस्पर्धी वेतन की अनुमति दी जाए।
- एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सुरक्षा:** थकावट जोखिम प्रबंधन प्रणाली (FRMS) विकसित की जाए; स्टार्फिंग ऑडिट किए जाएं; AI-आधारित प्रणालियों के साथ स्वचालन को उन्नत किया जाए।
- क्षमता योजना:** एक राष्ट्रीय क्षमता संरेखण योजना तैयार की जाए ताकि हवाई अड्डों की वृद्धि को एयरलाइन बेड़े के विस्तार के साथ समन्वित किया जा सके।
- रखरखाव, मरम्मत और संचालन (MRO) नीति:** घरेलू MRO क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाया जाए और नीति समर्थन प्रदान किया जाए।
- संचालनात्मक सुरक्षा:** उच्च जोखिम वाली घटनाओं के लिए मूल कारण विश्लेषण अनिवार्य किया जाए; सुधारात्मक कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाए।
- हेलीकॉप्टर संचालन:** एक समान राष्ट्रीय नियामक ढांचा और क्षेत्र-विशिष्ट पायलट प्रशिक्षण तैयार किया जाए।

### भारत में विमानन क्षेत्र का नियमन

- नागरिक उड़ायन मंत्रालय:** यह नागरिक उड़ायन क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
  - यह विमान अधिनियम, 1934; विमान नियम, 1937; और विमानन क्षेत्र से संबंधित अन्य विधानों का प्रशासन करता है।
  - यह नागरिक उड़ायन महानिदेशालय, नागरिक उड़ायन सुरक्षा ब्यूरो एवं संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे संलग्न और स्वायत्त संगठनों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
- नागरिक उड़ायन महानिदेशालय (DGCA):** यह नियामक निकाय मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से संबंधित है।
  - यह भारत से/भारत में/भारत के अंदर हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा एवं वायुगतिकीय मानकों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है।
  - यह अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ायन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI):** AAI नागरिक विमानन अवसंरचना, जिसमें हवाई अड्डे और हवाई नेविगेशन सेवाएं शामिल हैं, के प्रबंधन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है।
- नागरिक उड़ायन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS):** BCAS की मुख्य जिम्मेदारियों में भारत के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानक एवं उपाय निर्धारित करना शामिल है।
- द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (BASAs):** भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करता है ताकि उनके बीच हवाई सेवाओं को विनियमित किया जा सके।
  - ये समझौते दोनों देशों के बीच उड़ानों की संख्या, मार्गों और अन्य संचालनात्मक विवरणों को निर्धारित करते हैं।

## निष्कर्ष

- समिति की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि, जबकि भारत का नागरिक उड़ान क्षेत्र विकास के मार्ग पर है, इसकी दीर्घकालिक स्थिरता इन मूलभूत मुद्दों—नियमन, मानव संसाधन और अवसंरचना संरेखण—को संबोधित करने पर निर्भर करती है।

Source: IE

## भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली और रोजगारपरकता

### संदर्भ

- भारत को अपने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने की आवश्यकता है ताकि वह अपने विकास मॉडल को वास्तव में रूपांतरित कर सके।

### भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के बारे में

- यह विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसका उद्देश्य युवाओं और श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग-संबंधी कौशल प्रदान करना है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा संचालित एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा विनियमित की जाती है।

### भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थिति: प्रमुख आंकड़े

- प्रभाव और पहुँच**
  - भारत में 14,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs)
  - NCVET के तहत 127 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय और 68 मूल्यांकन एजेंसियाँ।
  - प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में प्रदान किया जाता है, जिसमें पूर्व कौशल की मान्यता (RPL) भी शामिल है।
- औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण (आयु 15–59 वर्ष)**
  - 2023 तक केवल लगभग 4.1% व्यक्तियों को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला (2017 में यह आंकड़ा 1.8% था)।

### अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रवृत्तियाँ

- 2023 में 15–59 आयु वर्ग के 65.3% लोगों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला, जो 2011 में 92.6% था।
- परिवारिक प्रशिक्षण (परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी कौशल) 2017 में 1.45% से बढ़कर 2023 में 11.6% हो गया।
- कार्यस्थल पर प्रशिक्षण 2017 में 2.04% से बढ़कर 2023 में 9.3% हो गया।
- स्व-अध्ययन भी बढ़ा, जो 2023 में 7.1% तक पहुँच गया।

### मुख्य चुनौतियाँ

- देर से एकीकरण:** भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण हाई स्कूल के बाद ही शुरू होता है, जिससे प्रारंभिक अनुभव और व्यावहारिक कौशल विकास सीमित हो जाता है।
- सीमित मार्ग:** व्यावसायिक प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा की ओर स्पष्ट मार्ग नहीं है, जिससे यह कई छात्रों के लिए राह बंद हो जाती है। इससे भागीदारी में कमी आती है और इसे एक विश्वसनीय करियर विकल्प के रूप में मान्यता नहीं मिलती।
- प्रशिक्षण की कमी और कम रोजगार:** 2022 में केवल 48% ITI सीटें भरी गईं, और स्नातकों में रोजगार दर 63% रही, जो जर्मनी, सिंगापुर एवं कनाडा जैसे देशों में 80–90% है।
- गुणवत्ता और धारणा की समस्या:** पुराना पाठ्यक्रम, रिक्त प्रशिक्षक पद, कमजोर निगरानी और उद्योग की न्यूनतम भागीदारी ने VET को अप्रभावी बना दिया है।
- सीमित उद्योग सहभागिता:** भारतीय ITIs सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर हैं, जबकि वैश्विक मॉडल मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित हैं।
  - MSMEs की भागीदारी बहुत कम है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और नौकरी से जुड़ाव प्रभावित होता है।
- संरचनात्मक बाधाएँ**
  - सामाजिक कलंक:** व्यावसायिक करियर को प्रायः व्हाइट कॉलर रोजगारों से कमतर माना जाता है, जिससे युवाओं की भागीदारी घटती है।

- विखंडित पाठ्यक्रम: कई कार्यक्रमों में अद्यतन सामग्री की कमी है और वे वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं को नहीं दर्शाते।
- अपर्याप्त अवसंरचना: स्कूलों और ITIs में आधुनिक उपकरण और कुशल प्रशिक्षकों की कमी है।

### वर्तमान नीति उपाय

- सरकारी पहलें
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): यह अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करती है, जो कभी-कभी केवल 10 दिनों के होते हैं।
  - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY): यह ग्रामीण युवाओं को लक्षित करती है।
  - राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS): यह उद्योग आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
  - इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है, जिससे अकादमिक और कौशल आधारित शिक्षा के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके।
  - प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:
    - बढ़ीगिरी, बागवानी और धातु कार्य जैसे ट्रेड्स का प्रारंभिक परिचय।
    - करियर विकल्पों के मार्गदर्शन के लिए रुचि सूची और योग्यता परीक्षण।
    - स्थानीय उद्योगों और ITIs के साथ साझेदारी के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजनाएँ
  - स्कूल छोड़ने वालों और श्रमिकों के लिए मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल (MES)।
  - कार्यस्थल पर प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS)।

- हब-एंड-स्पोक मॉडल के अंतर्गत कौशल प्रयोगशालाएँ और इनक्यूबेशन केंद्र।
- रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (ELI), प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, और ITI उन्नयन जैसे प्रयास औपचारिकता एवं अवसंरचना पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
- कौशल की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

### आगे की राह: वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख

- प्रारंभिक एकीकरण: स्कूल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया जाए, जैसा कि NEP 2020 में अनुशंसित है।
- स्पष्ट प्रगति मार्ग: राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू किया जाए ताकि VET और अकादमिक ट्रैक के बीच आवाजाही संभव हो सके।
- उद्योग संरचना: स्थानीय श्रम बाजार की मांग के अनुसार पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाए, प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाए और योग्य प्रशिक्षकों की भर्ती की जाए।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाए, MSMEs को शामिल किया जाए और कौशल विकास पहलों के लिए CSR फंडिंग का लाभ उठाया जाए।
- सार्वजनिक खर्च में बढ़िया: व्यावसायिक शिक्षा पर वर्तमान 3% व्यय को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए स्तर (10–13%) तक बढ़ाया जाए।
- प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की हालिया रिपोर्ट, जिसे कौशल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया, एक मांग-आधारित, बाजार-संरचित पारिस्थितिकी तंत्र पर बल देती है। इसमें सिफारिश की गई है:
  - परिणामों को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत रोजगारयोग्यता सूचकांक बनाना।
  - अनौपचारिक और अनुभवजन्य शिक्षा को मान्यता देना।
  - उद्योगों को कौशल प्रमाणित प्रतिभा पूल से भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना।

Source: IE

## CCPA द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के लिए रैपिडो पर जुर्माना

### समाचार में

- भारत के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी निकाय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटररैपिडो पर भ्रामक विज्ञापन चलाने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त होने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।
- CCPA ने रैपिडो के दो अभियानों — “गैरंटीड ऑटो” और “5 मिनट में ऑटो नहीं मिला तो ₹50” — का स्वतः संज्ञान लिया और उन्हें झूठा और भ्रामक पाया।

### भ्रामक विज्ञापन

- भ्रामक विज्ञापन का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए झूठे, भ्रामक या अप्रमाणित दावों का उपयोग करना। यह धोखा जानबूझकर किया जा सकता है, या लापरवाही या चूक का परिणाम हो सकता है।

### नैतिक ढांचे

- कर्तव्य-आधारित नैतिकता (Deontology):** इस दृष्टिकोण से भ्रामक विज्ञापन स्वाभाविक रूप से अनैतिक हैं क्योंकि यह ईमानदारी के कर्तव्य का उल्लंघन करता है।
  - एक विज्ञापनदाता की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ताओं को सटीक और सत्य जानकारी प्रदान करे।
  - चाहे धोखे से बिक्री बढ़े या ग्राहक खुश हों, सच्चाई से भटकना इसे अनैतिक बनाता है।
- उपयोगितावाद (Utilitarianism):** इस दृष्टिकोण से जुर्माना एक सकारात्मक कदम है।
  - भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को धोखा हुआ, विश्वास टूटा और वित्तीय हानि हुई (चाहे वह छोटा ही क्यों न हो)।
- गुण नैतिकता (Virtue Ethics):** यह ढांचा नैतिक एजेंट के चरित्र का मूल्यांकन करता है।
  - रैपिडो का व्यवहार ईमानदारी, अखंडता और निष्पक्षता जैसे प्रमुख गुणों की कमी को दर्शाता है।

- कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाने के बजाय, धोखे के माध्यम से अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दी।

### कानूनी पहलू

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** CCPA को भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- धारा 20:** प्राधिकरण को निर्देश जारी करने की अनुमति देती है, जिसमें अनुचित प्रथाओं को रोकना और धनवापसी शामिल है।
- धारा 21:** विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित है, जो प्रचारकों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध जुर्माना लगाने की अनुमति देती है।

### आगे की राह

- सख्त जुर्माने:** बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए अधिक जुर्माना और अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जाएं।
- उपभोक्ता जागरूकता अभियान:** नागरिकों को डिजिटल उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाए।
- ASCI (भारतीय विज्ञापन मानक परिषद) के साथ सहयोग:** डिजिटल और क्षेत्रीय प्लेटफार्मों पर भ्रामक विज्ञापनों की संयुक्त निगरानी की जाए।
- AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग:** विज्ञापनों में भ्रामक दावों का शीघ्र पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाए।

### Source: IE

## संक्षिप्त समाचार

### पिपराहवा अवशेष

#### प्रसंग

- हाल ही में एक विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि 127 वर्षों बाद भारत लौटाए गए पिपराहवा अवशेषों को उनके मूल स्थल — उत्तर प्रदेश के पिपराहवा — में वापस रखा जाएगा, और इसके पुनर्स्थापन की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है।

## परिचय

- ये अवशेष—भगवान बुद्ध की राख, अस्थि खंड, स्वर्ण आभूषण और रत्न—1898 में डब्ल्यू.सी. पेप्पे द्वारा खुदाई में प्राप्त हुए थे।
- सरकार अब 20 हेक्टेयर क्षेत्र को एक थीम पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें अवशेषों के लिए एक स्तूप, ध्यान क्षेत्र और भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को दर्शाने वाले आकर्षण शामिल होंगे।
  - प्रस्तावित थीम पार्क को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित पिपरहवा स्तूप के सामने बनाया जाएगा, जो शाक्य वंश और कपिलवस्तु—भगवान बुद्ध के बाल्यकाल के निवास स्थान—से जुड़ा हुआ है।
- पिपरहवा गांव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, जो लुंबिनी—भगवान बुद्ध के जन्मस्थान—के निकट है।
  - यह स्थान राज्य के बौद्ध परिपथ में अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध है।

Source: [IE](#)

## मशीन-पठनीय मतदाता सूची

### संदर्भ

- “वोट चोरी” के आरोपों के बीच, विपक्ष ने चुनाव आयोग (ईसी) से सभी राजनीतिक दलों को मशीन-पठनीय मतदाता सूची उपलब्ध कराने की माँग की है।

### मशीन-पठनीय मतदाता सूची क्या हैं?

- मशीन-पठनीय मतदाता सूची वे मतदाता सूचियाँ हैं जो चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वर्तमान छवि-आधारित पीडीएफ के बजाय, खोज योग्य, कंप्यूटर-पठनीय पाठ प्रारूप (जैसे पाठ-आधारित पीडीएफ, सीएसवी, या एक्सेल फ़ाइलें) में उपलब्ध हैं।
- इससे केवल मैन्युअल जाँच पर निर्भर हुए बिना मतदाता सूची में डुप्लिकेट प्रविष्टियों, त्रुटियों या अनियमितताओं का पता लगाना आसान हो जाता है।

Source: [TH](#)

## वैश्विक क्षमता केंद्र

### संदर्भ

- अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज ईबे ने भारत में अपना प्रथम वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापित किया है, जो प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, एआई/एमएल, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, उत्पाद विकास, उत्पाद प्रबंधन और डेटा विश्लेषण सहित कई कार्यों का संचालन करेगा।

### वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं?

- वैश्विक क्षमता केंद्र संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन को गति देने के लिए वैश्विक प्रतिभा पूल एवं तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- जीसीसी संगठनों को शीर्ष-स्तरीय प्रतिभाओं के वैश्विक पूल से जोड़ते हैं, जो उद्योग के रुझानों से आगे रहने, निरंतर नवाचार करने और निरंतर विकास करने के लिए आवश्यक नवीनतम तकनीक एवं प्रशिक्षण से लैस हैं।
- जीसीसी ऐसे केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं जहाँ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रतिभा रणनीतियों को लागू किया जाता है।

Source: [TH](#)

## कोयला गैसीकरण

### संदर्भ

- कोयला और खनन मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहाँ कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, वहाँ सरकार पारंपरिक दहन से उत्पन्न पर्यावरणीय चिंताओं को कम करने के लिए कोयला गैसीकरण को बढ़ावा दे रही है।

### कोयला गैसीकरण क्या है?

- कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोयले को संश्लेषण गैस (कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य हाइड्रोकार्बन का मिश्रण) में परिवर्तित किया जाता है।

- यह सिंगैस बिजली, तरल ईंधन, रसायन और उर्वरक बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रत्यक्ष दहन की तुलना में, गैसीकरण से कण पदार्थ एवं अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है।

### कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- नीलामी सुधार:** वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी में अब उन कंपनियों को राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट दी जाती है जो गैसीकरण की न्यूनतम सीमा सुनिश्चित करती हैं।
- दीर्घकालिक लक्ष्य:** भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि कोयले के उपयोग में विविधता लाई जा सके और पर्यावरणीय दबाव को कम किया जा सके।
- कोयला गैसीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना:** यह योजना 2024 में शुरू की गई थी और इसका कुल बजट ₹8,500 करोड़ है।
  - यह योजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को देशभर में कोयला गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

Source: [ET](#)


### नासा द्वारा S/2025 नाम का U1 यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा

#### संदर्भ

- नासा ने घोषणा की है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस का एक नया, 29वां उपग्रह खोजा है, जिसे S/2025 U1 नाम दिया गया है।

#### परिचय

- इस चंद्रमा का व्यास लगभग 10 किलोमीटर अनुमानित किया गया है।
- यह ग्रह की परिक्रमा लगभग 56,000 किलोमीटर की दूरी पर करता है।



- S/2025 U1 को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा आधिकारिक नाम दिया जाएगा।

#### यूरेनस

- यूरेनस सूर्य से सातवां ग्रह है, और सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
- खोज:** इसे प्रथम बार 1781 में सर विलियम हर्शल द्वारा एक ग्रह के रूप में पहचाना गया था (पहले इसे एक तारा समझा गया था)।
- संरचना:** यह एक आइस जायंट है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, जल, मीथेन और अमोनिया से बना है।
- अब यूरेनस के कुल 29 चंद्रमा हैं, जिनमें से पाँच को प्रमुख चंद्रमा माना जाता है: मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन।
- अन्वेषण:** इसे अब तक केवल एक बार—1986 में वॉयेजर 2 द्वारा—देखा गया है।

Source: [AIR](#)

### 'सतत ऊर्जा 1404' अभ्यास

#### समाचारों में

- 'सस्टेनेबल पावर 1404' हाल ही में ईरान द्वारा उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में शुरू किया गया।

### 'सस्टेनेबल पावर 1404' अभ्यास

- यह जून 2025 में इजराइल के साथ हुए 12-दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास है।

- यह एक दो-दिवसीय मिसाइल अभ्यास है, जो रूस के साथ हाल ही में हुए ईरान के संयुक्त अभ्यास 'कासारेक्स 2025' के बाद आयोजित किया गया और इजराइली अभ्यासों की प्रतिक्रिया में आया है, जिनमें ईरानी परमाणु स्थलों पर हमलों का अनुकरण किया गया था।
- यह अभ्यास क्षेत्रीय तनावों के बीच ईरान की नौसैनिक और मिसाइल क्षमताओं को उजागर करता है, जिसमें युद्धपोत, वायु इकाइयाँ, मिसाइल रक्षा प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ब्रिगेड शामिल हैं।
- सटीक-प्रहार क्रूज मिसाइलें जैसे नासिर और क्रादिर तैनात की गई ताकि युद्ध तत्परता और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जा सके।

### क्या आप जानते हैं?

- ईरान दो अलग-अलग नौसेना बलों को बनाए रखता है: पारंपरिक इस्लामी गणराज्य ईरान नौसेना (IRIN), जो पारंपरिक सेना का हिस्सा है, और इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर नौसेना (IRGCN)।
- IRIN ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और कैस्पियन सागर में गश्त करता है, जबकि IRGCN फारस की खाड़ी एवं होर्मूज जलडमरुमध्य को नियंत्रित करता है।

Source: AIR

## एनटीसीए द्वारा बाघ गलियारों की न्यूनतम आवश्यकता को सीमित

### समाचारों में

- नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने अपने पूर्व की प्रवृत्ति को परिवर्तित करते हुए 2014 से बाघ गलियारों को केवल 32 "कम लागत वाले मार्गों" तक सीमित कर दिया है, जबकि पहले यह एक व्यापक, वैज्ञानिक-आधारित परिभाषा का समर्थन करती थी।

### बाघ (Panthera tigris)

- बाघ अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवासों में रह सकते हैं, जैसे जंगल, घास के मैदान, मैंग्रोव दलदल, और यहाँ तक कि ठंडी, बर्फीली जगहों में भी।

- वितरण:** बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस और थाईलैंड।
- संरक्षण स्थिति:** बाघों को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत में स्थिति:** भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई, जो लगातार निगरानी वाले क्षेत्रों में वार्षिक 6.1% की दर से बढ़ रही है।
  - देश में 58 बाघ अभ्यारण्य हैं जो लगभग 2.5% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं।
  - पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1,044.68 वर्ग किमी के विस्तार को मंजूरी देने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया है।

### संबंधित पहलें

- बाघ गलियारे आवासों को जोड़ने, बाघों की आवाजाही, जीन प्रवाह और दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत, इन गलियारों के अंदर या आसपास किसी भी विकास कार्य के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) से अनुमति लेना आवश्यक है।
- नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2006 में संशोधित) के अंतर्गत की गई थी।
  - यह भारत में बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए बाघ जनसंख्या मूल्यांकन, चल रहे संरक्षण प्रयासों एवं विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर परामर्श और दिशानिर्देश जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
- प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, भारत की प्रमुख संरक्षण पहल रही है।

- ▲ यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक केंद्रीय योजना है जो नामित अभ्यारण्यों में बाधों के स्थल संरक्षण का समर्थन करती है।

Source :IE

## डल झील में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव

### संदर्भ

- कश्मीर का रत्न कहे जाने वाला डल झील प्रथम बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी कर रही है।

### महोत्सव के बारे में

- आयोजक:** भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल।
- प्रतियोगिताएँ:** 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक एथलीट्स रोइंग, कैनोइंग और कायर्किंग जैसी प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में भाग लेंगे।
- ▲ महोत्सव में वॉटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट और शिकारा रेस जैसे प्रदर्शनात्मक खेल भी शामिल होंगे।

- मास्कट:** हिमालयन किंगफिशर से प्रेरित, जो साहस, ऊर्जा और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है।
- महत्व:** यह फेस्टिवल केंद्र सरकार की खेलों भारत नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, आजीविका उत्पन्न करना और स्थानीय ढांचे को पुनर्जीवित करना है।

### डल झील के बारे में

- अवस्थिति:** श्रीनगर में स्थित डल झील ज़बरवान पर्वत शृंखला की तलहटी में है, और शंकराचार्य पहाड़ी इसका भव्य पृष्ठभूमि प्रदान करती है।
- प्रकार:** यह एक स्वच्छ जल की शहरी झील है, जिसे झेलम नदी बेसिन का बाढ़ फेफड़ा माना जाता है।
  - ▲ यह जम्मू-कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो लगभग 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, और इसमें एक अनोखा वेटलैंड इकोसिस्टम है जिसमें तैरते हुए बाग (“राड”) होते हैं, जहाँ सब्जियाँ एवं फूल उगाए जाते हैं।

Source: [AIR](#)

